संख्या: 166/2026/ 709 पू०वि०नि0/35-1-2026-1766865

प्रेषक,

अशोक कुमार राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

विषयः- पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद बलरामपुर की 02 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1272/पू0वि0नि0(रा0)-2024-25/अव0धन0मांग/2026-27 दिनांक 05.08.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत जनपद बलरामपुर की 02 परियोजनाओं से संबंधित प्रपत्र यथा-यूसी/फार्म-42 आई, बी० एम०-15 एनेग्जर-2, फोटोग्राफ, निरीक्षण आख्या एवं जी०एस०टी० संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ -4 में अंकित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 49/2025 /607 पू०वि०नि0/35-1-2025/35-1099/15/2025, दिनांक 29.03.2025 द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं की चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रियान्वयन हेतु अगली किश्त के रूप में उनके सम्मुख स्तम्भ -11 में अंकित धनराशि, जिनका कुल योग रू0 135.16 लाख (रुपये एक करोड पैतीस लाख सोलह हजार मात्र) है, को पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये अधोलिखित प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 (धनराशि रू0 लाख में)

क्र	परियोजना का नाम	लम्बाई मी. में	अनुमोदित लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत अनु मन्य मदों सहित	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर मांग की गयी धनराशि	GST एवं अन्य सूचना अनुसार आंकलित की गयी अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	ग्रामसभा बाय भीट (श्रीदत्तगंज) नौरैया पक्की सड़क से परमानन्द कोटेदार के घर होते हुए श्री दुर्गा पूजा स्थल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1800	151.86	75.93	111.69	144.44	7.42	74.96	68.51	68.51
2	उतरौला तुलसीपुर मार्ग से कोहनिया केतारपुर बारम होते हुए कटरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2000	149.76	74.88	109.44	141.53	8.23	73.17	66.65	66.65
	योग	3800	301.62	150.81	221.13	285.97	15.65	148.13	135.16	135.16

(रू0 एक करोड पैतीस लाख सोलह हजार मात्र)

3.शर्ते एवं प्रतिबन्ध:-

1. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

2. सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जाये। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।

4. आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

5. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नहीं रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

7. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।

8. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेर्शी एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।

10. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 30प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

11. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

12. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2026 तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन / परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

13. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/ विशिष्टि के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14. मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृति न हो।

15. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

16. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०टी०एस०पी० हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

19. विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 135.16 लाख (रुपये एक करोड पैतीस लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्षक "4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय 03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

(अशोक कुमार राम)
उपसचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोकत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8. जिलाधिकारी, बलरामपुर ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर ।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।